

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

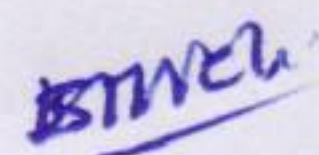
संख्या: 359 / XXVI-(2017-2018) दिनांक नई टिहरी जून 23, 2018
प्रेषित,

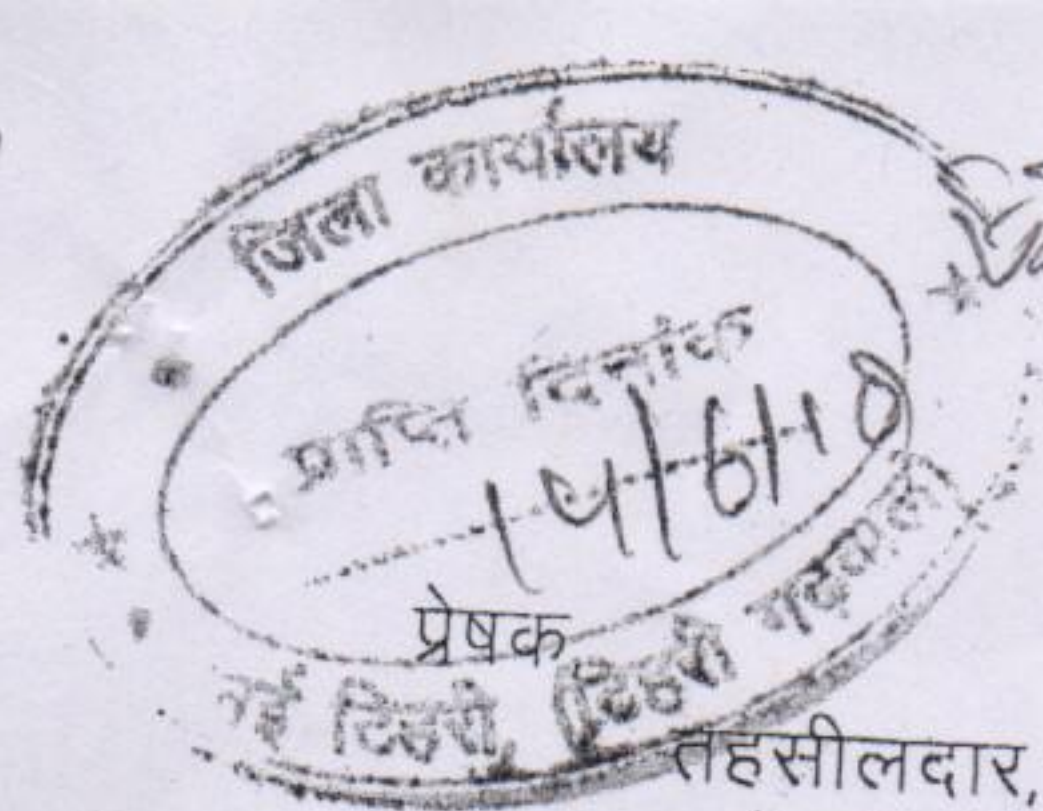
अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई द्वितीय,
नई टिहरी।

विषय— विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमालडा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 35.00 ये घेना तक क्षतिपूरक वृक्षा रोपण के संबंध में/विकास खण्ड जौनपुर के रायपुर-कुमालडा-कददूखाल के किमी0 15.00 से रगड़गांव तक मोटर मार्ग के संबंध मे।

उपरोक्त विषयक उप जिलाधिकारी धनोली के पत्र संख्या 96/1 दिनांक: 02 जून 2018 एवं पत्र संख्या: 96/रजि0का दिनांक: 02 जून 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु जांच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

क्त दोनो पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि जो अलग-अलग खसरा नम्बर के रूप में छोटे-छोटे टूकडों मे बिखरी हुई है। ग्राम घेना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि के अतिरिक्त एक स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं है। तथा रगड़गांव में भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि के अतिरिक्त एक स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं है। जांच आख्या की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न यथोक्त।


अपर जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।



OC / ex clerk

27

तहसीलदार,
धनोली, टिहरी गढ़वाल ।

अपर जिलाधिकारी
14-6-2018
टिहरी गढ़वाल ।

सेवामें,

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल ।

R.N.-2201/ERK

पंजिका सं०-...13...दिनांक-15.6.18

हस्ता-उपजिलाधिकारी धनोली

संख्या-96/1 / रजि०का० (जांच) 2018, दिनांक धनोली, जून 02, 2018

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमाण्डा-कदूखाल मोटर मार्ग के किमी० 35.00 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 3.325 किमी०) के निर्माण हेतु वांछित 2.0825 हे० वन भूमि का गैर वांनिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के संबंध में ।

महोदया,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम घेना में नव निर्माण मोटर मार्ग वन भूमि कि०मी० (3.325) के निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु अरक्षित वन वनपंचायत जिसका क्षेत्रफल 2.0825 के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 4.165 हे० अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि ग्राम घेना में क्षति पूर्वक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि जो अलग-अलग खसरा नम्बर के रूप में छोटे-छोट टुकड़ों में बिखरी है के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक धनोली से जांच करवाई गयी। राजस्व निरीक्षक ने अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि ग्राम घेना में क्षतिपूरक हेतु चयनित भूमि के अतिरिक्त एक स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में जांच आख्या महोदया की सेवामें सादर सम्प्रेषित ।

भवदीय

तहसीलदार
धनोली
टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी महोदया की
सेवामें तहसीलदार-धनोली
की आख्या अग्रसारित

सुनिश्चाली अतिरिक्त

पी०एम०जी०एस०वाई० (टिहरी) उप जिलाधिकारी

धनोली

टिहरी गढ़वाल

08/06/18

करो